बिहार विधान परिषद

(200वां बजट सत्र)

07 मार्च, 2022

[कृषि - पथ निर्माण - ग्रामीण विकास - भवन निर्माण - ग्रामीण कार्य - पंचायती राज पशु एवं मत्स्य संसाधन].

कुल प्रश्न 19

उर्वरक की कालाबाजारी

***68** **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

क्या **कृषि** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि आपदा और मौसम की मार झेलते जिले के किसानों को अब उर्वरकों की बढ़ी कीमतों से काफी परेशानी हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि कई प्रकार के उर्वरकों की कालाबाजारी होने के कारण अधिकतर किसानों के सामने खेती करना असंभव सा हो गया है;

(ग) क्या यह सही है कि यूरिया और डी०ए०पी० को छोड़कर सभी उर्वरक के बैग पर दो सौ से लेकर सौ रुपए तक की बढ़ोत्तरी हुई है जिसके चलते जरूरत वाली उर्वरक खरीदने में किसान असमर्थ हो रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उर्वरकों की काला बाजारी रोकने एवं सही मूल्य पर अन्नदाताओं को उर्वरक उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पथ का कालीकरण

***69** **मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **ग्रामीण कार्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनियां प्रखण्ड के बैरगनियां बाजार से फुलवरिया तक की लगभग पांच किमी तक की सड़क की स्थिति काफी जर्जर एवं दयनीय होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त पथ की मरम्मती एवं कालीकरण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

नगर पंचायत करने पर विचार

*70 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा)ः**

क्या **पंचायती राज** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी दरभंगा के पत्रांक 146, दिनांक-09.01.1990 की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज विभाग ने जिला के केवटी प्रखंड के अंतर्गत फुलकाही पंचायत का नाम बदल कर फुलकाही मार्कण्डेय नगर किया था जो 18 अप्रैल 1990 के गजट में प्रकाशित है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2001 में इस पंचायत का नाम बदलकर पूर्वी नयागांव कर दिया गया है, जबकि पूर्वी नयागांव इस पंचायत के अन्दर नहीं आता है;

(ग) क्या यह सही है कि नामित पंचायत में वह गांव पंचायत में रहता है जबकि पूर्वी नयागांव में पूर्वी नयागांव का एक भी नागरिक उक्त पंचायत में वोटर नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्वी नयागांव पंचायत का नाम बदल कर पुनः फुलकाही मार्कण्डेय नगर पंचायत करने का विचार रखती है,यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

तालाबों का संरक्षण

*71 **डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत)ः**

क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिला के काको प्रखंड के अम्थुआ गांव में विछिछिया मियां साहब पोखर, सूरज पोखर, भौजायी पोखर, कूरबा पोखर नामक तालाब

अवस्थित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सभी तालाब अपना स्वरूप खोते जा रहे हैं जिससे इस तालाबों के सूखने का खतरा है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा तालाब, पोखर, कुंआ इत्यादि के संरक्षण हेतु महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है जिससे जल संचय को सुरक्षित किया जा सके ;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार काको प्रखंड के गांव अम्थुआ में अवस्थित सभी तालाबों को संरक्षित करने हेतु योजना बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

*72 **प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या **ग्रामीण कार्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायत मिलने पर 60 कार्य दिवसों में सड़कों का मरम्मत कार्य कराना है;

(ख) क्या यह सही है कि शिकायत मिलने के बाद भी ग्रामीण सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार की अधिकांश ग्रामीण सड़कें मरम्मत के अभाव में जर्जर हो चुकी हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषियों पर कार्रवाई करेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रखण्डों में पदस्थापन

*73 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना के पत्रांक- 3026

दिनांक- 15.10.2016 द्वारा Bare Foot Technican (BFT) स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल 11 अभ्यर्थियों की सूची सचिव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को उपलब्ध करायी गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि 6 वर्ष बीतने के बावजूद आज तक उन्हें न तो प्रशिक्षण दिया जा रहा है और न ही उन्हें प्रखंडों में पदस्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार Bare Foot Technican (BFT) स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल 11 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देकर प्रखंडों में पदस्थापित करना चाहती है?

लेमनग्रास की खेती

***74 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या **कृषि** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्रान्तर्गत आने वाला गया जिला के बाराचट्टी के लोग अफीम की जगह लेमनग्रास की खेती से अच्छी आमदनी कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि लेमनग्रास से तैयार होने वाली तेल की मांग बिहार के बाहर दूसरे राज्य में अधिक है;

(ग) क्या यह सही है कि लेमनग्रास की खेती के लिए लोगों को राज्य सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रोत्साहित कर रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यह बतलाएगी कि लेमनग्रास की खेती व उससे तैयार तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसान को किस प्रकार की मदद करने पर विचार कर रही है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पुल के समानान्तर ऊंचाई का पथ

***75 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **ग्रामीण कार्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय जिला के सीमा सूर्यगढ़ा एन.एच.- 80 से बेगूसराय जिला के कोईवा-बरवसका बिन्दटोली तक सड़क निर्माण प्रारंभ किया गया था

और पुरानी डीह तक सड़क निर्माण कर योजना को बंद कर दिया गया, जिसमें 13 किमी निर्माण होने वाली सड़क 8.2 किमी. के बाद अधूरी रह गई है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एन.एच.-80 सूर्यगढ़ा स्थित किउल नदी के पुल के समानान्तर ऊंचाई के पथ, कोईवा-बरवसका बिन्द टोली तक 13 किमी. में पुनः सड़क बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

पथ का निर्माण

***76 श्री सी.पी; सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):**

क्या **ग्रामीण कार्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अन्तर्गत नौबतपुर प्रखण्ड के पितवांस के पास नौबतपुर मसौढ़ी मुख्य मार्ग से पितवांस-आलमपुर–सब्जपुरा–दिहुली–महबलीपुर–शेरपुरा–नरही–सोरमपुर–महुआबाग-पाठक मिल्की होते हुए दुल्हिन बाजार को सड़क जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पथ के बन जाने से मसौढ़ी-दुल्हिन बाजार के बीच दूरी काफी कम हो जाएगी;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पथ के बन जाने से तीन प्रखंड (विक्रम, नौबतपुर, विक्रम) के दर्जनों गांवों को यातायात को सुगमता मिलेगी;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण यथाशीघ्र कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मानदेय भुगतान

***77 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या **कृषि** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-
क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि मिट्टी जांच प्रयोगशाला, पूर्वी चम्पारण के ADC द्वारा वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक दो मानव बल के निर्धारित वर्षवार मानदेय से छेड़छाड़ कर कम नमूना दिखा मानदेय भुगतान किया गयस है एवं कोर्ट के निर्देशों की अवमानना की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि मानव बल की उपस्थिति पंजी में संधारण होते थे, जो बंद कर दिया गया है एवं वर्ष 2019-20 से अबतक सहयोग किये गये नमूनों का अभिश्रव प्रति

माह ADC द्वारा पारित नहीं किया गया है एवं मानव बल की जानकारी दिए बिना ही मनमाने ढंग से कम नमूनों के मानदेय का भुगतान किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलाएगी कि ऐसा अमानवीय कृत्य निम्न कर्मी के साथ ADC द्वारा क्यों किया गया है और सरकार वर्षवार निर्धारित मानदेय भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

संगठनात्मक सुदृढीकरण

*78 **श्री अर्जुन सहनी (विधान सभा):**

क्या **कृषि** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार के कृषि रोड मैप वर्ष 2017-18 से 2020-2022 तक के अन्तर्गत मत्स्य विकास योजनाएं एवं व्यय विवरणी स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि कृषि रोड मैप के मत्स्य विकास योजनाएं एवं व्यय विवरणी के पृष्ठ-75 की कंडिका-36 में उद्धृत है कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति के संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए 9547 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मत्स्यजीवी सहयोग समिति के संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए 9547 लाख रुपए देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त

*79 **प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):**

क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के फुलवारी शरीफ प्रखंड अंतर्गत नौसा गांव के ईमलीतल मजार से पेट्रोल लाईन ताज नगर तक कुछ लोगों द्वारा सड़क का अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को आने-जाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त दूरी का अतिक्रमण मुक्त कराएगी?

अनियमितता की जांच

*80 **श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

क्या **ग्रामीण कार्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि प. चम्पारण ग्रामीण कार्य प्रमंडल, बगहा-1 एवं 2 में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कराये गए कार्य में अनियमितता हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि प. चम्पारण ग्रामीण कार्य प्रमंडल, बगहा-1 एवं 2 में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कराए गए कार्य मानक के अनुरूप नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि प. चम्पारण ग्रामीण कार्य प्रमंडल बगहा-1 एवं 2 में निविदा को मैनेज किया जाता है, जिससे सरकारी पैसे की बचत ना हो कर दुरूपयोग होता है;

(घ) क्या यह सही है कि प. चम्पारण ग्रामीण कार्य प्रमंडल बगहा-1 एवं 2 में क्षेत्र भ्रमण के दौरान निर्मित पथ की गुणवत्ता की जांच की गई जो मानक के अनुरूप नहीं है;

(ड़) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनियमितता की जांच कराएगी ताकि अनियमितता की स्पष्ट जांच हो सके , यदि हां तो कबतक

मानदेय की बढोतरी

*81 **डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या **पंचायती राज** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम कचहरी सचिव को मानदेय के रूप में 6,000/- (छः हजार) रुपए एवं न्याय मित्र को नियत फीस की राशि-7,000/- (सात हजार) रुपए दी जा रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए खंड (क) में वर्णित ग्राम कचहरी सचिव को मानदेय के रूप में एवं न्याय मित्र की नियत फीस की राशि-क्रमशः 15,000/- (पन्द्रह हजार) रुपए एवं 20,000/- (बीस हजार) रुपए प्रतिमाह देना चाहती है, यदि हां तो कबतक नहीं तो क्यों?

जमीन का मुआवजा

*82 **डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **पथ निर्माण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि NH-83 पटना-गया-डोभी फोरलेन का निर्माण कराया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिले के लगभग 250 किसानों की जमीन उक्त पथ के निर्माण में अधिगृहीत की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2016 में ए.डी.एम. जहानाबाद द्वारा यह निर्णय हुआ कि उक्त किसानों की जमीन कृषि योग्य नहीं बल्कि आवासीय या व्यावसयिक है;

(घ) क्या यह सही है कि किसानों के मुआवजे हेतु NHAI, भारत सरकार ने भी अबतक कोई निर्णय नहीं लिया है;

(ड़) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यथाशीघ्र जहानाबाद जिले के मुआवजा से वंचित लगभग 250 किसानों की अधिगृहीत जमीन का मुआवजा यथाशीघ्र देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सडक का निर्माण

*83 **श्री रामईशबर महतो (विधान सभा):**

क्या **ग्रामीण कार्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला के भासर धर्मशाला चौक से रिखौली, गोसाईपुर, रसलपुर, मननपुर, हरसिंगपुर, मानिकचौक तक जाने वाली सड़क की स्थिति जर्जर है;

(ख) क्या यह सही है कि उपर्युक्त सड़क की स्थिति जर्जर होने के कारण उक्त गांव के ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिला के भासर धर्मशाला चौक से रिखौली, गोसाईपुर, रसलपुर हरसिंगपुर, मानिकचौक तक जाने वाली जर्जर सड़क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

दोषियों पर कार्रवाई

*84 **श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

क्या **पंचायती राज** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बांका जिले के बाराहाट प्रखंड के ग्राम पंचायत खड़हरा के खड़हरा गांव में पंचम वित्त आयोग की योजना से योजना सं०- 01/2019-20 में मकई साह के घर से शेखर झा के घर तक नाला मरम्मती व ढक्कन का निर्माण करवाया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि पांच वर्ष पूरा हुए बिना ही कोढ़िया डॉड की मरम्मती व ढक्कन निर्माण कार्य का नाम बदलकर योजना की लीपापोती कर कनीय अभियंता के फर्जी हस्ताक्षर द्वारा संबंधित व्यक्तियों के द्वारा प्राक्कलित सरकारी राशि की अवैध निकासी कर ली गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

योजना की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति

*85 **डा. रामवचन राय (मनोनीत):**

क्या **पंचायती राज** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के घोघरडीहा प्रखंडान्तर्गत ग्राम पंचायत राज बसुआरी के अधीन अवस्थित सभी ग्रामों, यथा-बसुआरी, बगराहा, कमलपुर, पिपरा एवं अलोला के सभी 01 से 14 वार्डों में वर्ष 2016 से 2021 तक जल-नल योजना का कार्यान्वयन करने हेतु योजना का शुभारम्भ किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकारी राशि की निकासी तो कर ली गई है, किन्तु धरातल पर योजना का नामोनिशान नहीं है, जिससे उक्त पंचायत की जनता सरकार की इस योजना का लाभ पाने से वंचित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि उक्त वर्णित पंचायत में उक्त योजना की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति एवं उपलब्धि क्या है?

दंडात्मक कार्रवाई

*86 **श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या **ग्रामीण कार्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना मुख्यालय के कार्यालय आदेश संख्या- 3/अ०प्र०- 1-170/16-266/ पटना, दिनांक- 09.03.2017 द्वारा ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी अंतर्गत नागदाह बालाइन पथ में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत पुल निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता की जांच हेतु उच्चस्तरीय समिति का गठन हुआ था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त समिति की अनुशंसा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित समिति की अनुशंसा के आलोक में दोषी पदाधिकारियों एवं अन्य पर दण्डात्मक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?